

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2152]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937

No. 2152]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का. आ. 2717(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 5 की उप धारा (2) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम सेवक शर्मा को उनके पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं करते, जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 10/7/2014-आरईएसटीजी]

वी. उमाशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2717(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and sub-section (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Shri Ram Sewak Sharma, as the Chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India, for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. 10/7/2014-Restg.]

V. UMASHANKAR, Jt. Secy.